न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 40/2019 2019/00165

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र सुण्डा जाति मीना, निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. शंकरलाल पुत्र गोदूराम, जाति मीना निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. हनुमान सहाय पुत्र गोदूराम जाति मीना निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा तहसील आमेर।
4. सुन्दरी बेवा नाथूलाल जाति मीना निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. केसन्ता देवी पुत्री नाथू लाल, जाति मीना निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. विष्णु पुत्र नाथूलाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुन्दरी देवी पत्नी नाथू लाल ग्राम कोटडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. अभिषेक पुत्र नाथू लाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुन्दरी देवी पत्नी नाथू लाल ग्राम कोटडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. पार्वती देवी पत्नी हनुमान मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम कोटडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. दिलसुख पुत्र हनुमान मीना नाबालिग जरिये संरक्षक माता पार्वती देवी पत्नी हनुमान निवासी ग्राम कोटडा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. मोनिका पुत्री हनुमान मीना, नाबालिग जरिये संरक्षक माता पार्वती देवी पत्नी हनुमान निवासी ग्राम कोटडा तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता

निर्णय **दिनांक :–16.12.2019**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 3(2)रा–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2018 के तहत भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के

तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया था। जो ग्राम कोटडा तहसील आमेर जिला जयपुर के ख.नं. 250, 251, 619, 619/959, 623, 630, 637 में रास्ता चाहने बाबत प्रस्ताव प्राप्त होने पर पूर्व में निर्णय दिनांक 24.05.2017 द्वारा स्वीकार किया गया था। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण छीतर व अन्य द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील प्रस्तुत की गयी। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 19.02.2019 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया गया था।

प्रकरण पुनः दर्ज किये जाने पर अप्रार्थीगण छीतर व अन्य द्वारा प्रा0 पत्र धारा 144 सी0पी0सी0 का पेश कर पूर्व स्थिति बहाल करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार आमेर से रिपोर्ट क्रमांक कोर्ट/19/414 दि. 24.07.2019 प्राप्त की गयी जिसमें फर्द मौका रिपोर्ट दि. 19.07.2019 की प्रस्तुत हुई जो निम्न प्रकार है :– ग्राम कोटडा के आराजी ख0नं0 619/959, 623 पर पहुंचा। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान के नयें ख0नं0 619/959 रकबा 0.0900 है0 किस्म बारानी 1, 619/692 रकबा 0.0064है0 किस्म गै0मु0रास्ता, 619/965 रकबा 0.0036 है0, किस्म बारानी 1, 623 रकबा 2.9500 है0, किस्म बारानी 1, 623/1 रकबा 0.0640 है0, किस्म गै0मु0रास्ता, 623/2 रकबा 0.0460 है0 किस्म बारानी 1 कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.16 है0 नवीन हाल रिकॉर्ड में दर्ज है। पर पहुंचा। मौके पर वादी व अन्य पडौसी व्यक्ति उपस्थित मिलें। उक्त खसरा नम्बरान व आस पडौस का मौका मुआयना किया गया। मौके पर ख0नं0 623 भूमि के पश्चिमी दिशा की ओर आधी भूमि में वर्तमान में फसल, चौली, ग्वार व हजारा की फसल खड़ी है। ख0नं0 623/1 गै0मु0रास्ता जो अभी दर्ज हुआ है उसमें भी ग्वार, चौली व हजारा की फसल तथा टीनशेड़ (छप्पर) ट्यूबवेल व ट्रांसफारम का कुछ हिस्सा विद्यमान है। 623/2 में ग्वार, चौली, हजारा की फसल है। ख0नं0 619/959, 619/962, 619/965 भूमि वर्तमान में खाली पड़त पड़ी है। उक्त किता 6 रकबा 3.16 है0 भूमि की किस्म अलग–अलग है लेकिन वर्तमान में खातेदारी भूमि ही है। नकल जमाबंदी फोटो प्रति व नक्शा की फोटो प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त भूमि के उत्तर दिशा में गै0मु0तलाई तथा दक्षिण में अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि व रास्ता है। पूर्व में खातेदारी भूमि व पश्चिम में भी अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि स्थित है। अतः वर्तमान में रिकॉर्ड व मौका की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करके उपस्थित व्यक्तियों को पढ़ाकर सुनाकर हस्ताक्षर करवायें गये। उपस्थित मौतविरान ने रिपोर्ट सही होना बतलाकर हस्ताक्षर किये।

अप्रार्थीगण छीतर व अन्य की ओर से विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र व खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत की गयी तथा बहस अंतिम सुनी गयी।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के तहत कदीमी रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने व उसकी प्रक्रिया का पालन किये जाने का प्रावधान है जिसमें मौका निरीक्षण हेतु मात्र तहसीलदार महोदय ही सक्षम है। इस प्रकरण में तहसीलदार महोदय द्वारा ना तो मौका देखा गया ना ही प्रस्ताव को देखा गया। प्रस्ताव मात्र हल्का पटवारी व सरपंच द्वारा कैम्प में अविधिक रूप से राजनैतिक द्वेषतावश पेश किया गया है जिस पर मौका देखने की दिनांक भी अंकित नहीं है। तहसीलदार महोदय के हस्ताक्षर भी नहीं है ना ही उक्त प्रस्ताव तहसीलदार महोदय के कार्यालय या न्यायालय द्वारा दर्ज कराया गया है। हमनें खसरा गिरदावरियां पेश की है जिनमें कहीं भी रास्ता नहीं है बल्कि खेती का हवाला है तथा मौके पर कोई रास्ता नहीं है जो तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा स्पष्ट जाहिर है। यदि मौके पर रास्ता होता तो साबिक सर्वे तथा हाल सर्वे में अवश्य ही रास्ता दर्ज होता लेकिन मौका पर कोई रास्ता नहीं होने से ही रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है। कभी भी रास्ता नहीं रहा है ना ही वर्तमान में रास्ता है। यदि किसी पड़ौसी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता हो तो खातेदार नियमानुसार 251 क के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए प्रस्ताव विधिक प्रावधानों के विपरीत क्षेत्राधिकार विहिन रूप से दर्ज किया गया है जो खारिज किया जाकर रिकॉर्ड में पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया।

हमनें पत्रावली संलग्न दस्तावेजात व अप्रार्थीगण की बहस का मनन व अवलोकन किया उक्त प्रस्ताव पर विधि अनुसार सक्षम अधिकारी तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है ना ही तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार प्रस्ताव भिजवाया गया है तथा प्रस्तुत गिरदावरियों में वादग्रस्त आराजी पर फसल होना पायी जाती है। तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.07.19 व उसके संलग्न मौका फर्द 19.07.19 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार ग्वार, चौली व हजारा की फसल व टिन शेड छप्पर, ट्यूबवैल व विद्युत ट्रांसफार्मर का कुछ भाग तथा कुछ भूमि खाली होने का अंकन है जिसमें रास्ता होना नहीं पाया जाता है। तहसीलदार आमेर द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी में कदीमी रास्ता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्व ग्राम कोटडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी ख.नं. 250, 251, 619, 619/959, 623, 630, 637 पर प्रस्तावित रास्ता का प्रस्ताव खारिज किया जाता है। तहसीलदार आमेर को निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2017 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इन्द्राज की पूर्व स्थिति बहाल की जावें। यदि किसी पड़ौसी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

आज दिनांक **16.12.2019** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.20 13:54:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: